1974, on the advice of the Comptroller and Auditor General of India *vide* their letter No.CA.V/FRM/HIMACHAL PRADESH, P/1739 dated 27-09-2019, is pleased to appoint M/s CHANDER SAREEN & ASSOCIATES (NR0681) HIGHLAND ESTATE, NEAR RAILWAY STATION SHOGEE, SHIMLA-171001, H.P. for the year 2019-20, as Statutory Auditor for H.P. State Pollution Control Board for the financial year 2019-20 for a fee of Rs. 35,000/-(Rupees thirty five thousand only).

In case audit is due for more than one year, the auditors would formally certify the accounts of a particular year only after the previous year's audited accounts are adopted by the Annual General Meeting of the Board.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Env., S&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 44 / 2019—राज्य कर

शिमला—2, 01 नवम्बर, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.—एफ(10)—22 / 2019.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप नियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियमों के **प्ररूप जीएसटी आर—3ख** में विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप से, सामान्य पोर्टल के माध्यम से ऐसे उत्तरवर्ती मास की बीस तारीख को या उसके पहले दी जाएगी।

2. **प्ररूप जीएसटी आर—3ख के अनुसार कर दायित्व के उन्मोचन के लिए कर का संदाय—** उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आर—3ख में विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के मद्दे अपने दायित्व का निर्वहन पहले पैरा में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अंतिम तारीख के, जिसको उससे उक्त विवरणी देने की अपेक्षा है, अपश्चात्, यथास्थिति, इलैक्ट्रानिक नकद खाता या इलैक्ट्रानिक जमा खाते में विकलन करके करेगा।

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[*Authoritative english text of this Department Notification No. EXN-F(10)-22/2019 dated 01 -11-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 44/2019-State Tax

Shimla-2, the 1st November, 2019

No. EXN-F(10)-22/2019.—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification

referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from October, 2019 to March, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.**– Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

By order,

SANJAY KUNDU,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 45/2019–राज्य कर

शिमला–2, 01 नवम्बर, 2019

सं0 ई.एक्स.एन.–एफ(10)–22/2019.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करते हैं।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–1** में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्योरे उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात्:–

सारणी

क्रम सं0	त्रैमास जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर–1 में ब्योरे प्रस्तुत किए गए हैं	प्ररूप जीएसटीआर–1 में ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि
1	2	3
1.	अक्तूबर, 2019 से दिसम्बर, 2019	31 जनवरी, 2020
2.	जनवरी, 2020 से मार्च 2020	30 अप्रैल, 2020

3. अक्तूबर, 2019 से मार्च, 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्योरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय–सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी।

आदेश द्वारा,

(संजय कुंडू),
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।